



क्र. 829 / स्था./प्रशा./2020,

बिलासपुर, दिनांक 21-09-2020

कार्यालयीय ज्ञाप

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, बिलासपुर (छ.ग.) के आदेश क्र. रीडर-जि. दण्डा/4203/2020 बिलासपुर दिनांक 19.09.2020 के द्वारा दिनांक 22.09.2020 प्रातः 05:00 बजे से 28.09.2020 रात्रि 12:00 बजे तक बिलासपुर नगर पालिक निगम क्षेत्र को पूर्ण रूप से कन्टेन्मेंट जोन घोषित किया गया है एवं जिले के समस्त कार्यालयों को बंद किया गया है।

अतः उक्त आदेश में निहित दिशा निर्देशों के अनुपालन में दिनांक 22.09.2020 प्रातः 05:00 बजे से 28.09.2020 रात्रि 12:00 बजे तक विश्वविद्यालय के समस्त विभाग/अनुभाग बंद रहेंगे।

इस दौरान शैक्षणिक विभागों के विभागाध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके विभागों में कार्यरत शिक्षकों द्वारा ऑन लाईन शिक्षण इत्यादी का कार्य निर्बाध रूप से सम्पन्न किया जा सके।

महत्वपूर्ण कार्यों यथा वेतन/फेलोशीप भुगतान, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/शिक्षा मंत्रालय को जानकारी प्रेषण, परीक्षा आदि हेतु अत्यावश्यक होने पर संबंधित विभाग/अनुभाग उनके नियंत्रक अधिकारी के निर्देशानुसार, ऑनलाईन माध्यम से कार्यों का निष्पादन नियत समयावधि के अंदर संपन्न करना सुनिश्चित करेंगे।

विश्वविद्यालय के समस्त शिक्षकों/अधिकारियों/कर्मचारियों को यह भी निर्देशित किया जाता है कि अत्यावश्यक होने पर कार्यालय में उपस्थित होने हेतु उनके विभागाध्यक्षों/ नियंत्रक अधिकारियों द्वारा पृथक से सूचित किया जायेगा। इस दौरान समस्त शिक्षक/अधिकारीय/कर्मचारी इलेक्ट्रानिम्स मीडिया यथा मोबाईल, ईमेल इत्यादि में उपलब्ध रहेंगे।

आदेशानुसार

कुलसचिव (कार्यवाहक)

पृ. क्र. 830 / स्था./प्रशा./2020,
प्रतिलिपि :-

बिलासपुर, दिनांक 21-09-2020

01. कुलपति/कुलसचिव के निज सचिव/निज सहायक की ओर माननीया कुलपति महोदया/कुलसचिव महोदय के सूचनार्थ।
02. समस्त अधिष्ठाताओं/समस्त विभागाध्यक्षों/विभागीय अधिकारियों की ओर सूचनार्थ।
03. वित्ताधिकारी/परीक्षा नियंत्रक/सहायक कुलसचिव (अकादमिक) की ओर सूचनार्थ।
04. प्रभारी आई.टी. सेल, संगणक संस्थान की ओर सूचनार्थ एवं विश्वविद्यालय पटल पर अपलोड हेतु।
05. कार्यालय प्रति।

सहायक कुलसचिव (प्रशासन)